

FORM NO. |||

फर्द अहकाम
नियम (26)

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....
..... गोबरिया बनाम..... गोबरीलाल
किस्म मु0..... मिसल न0..... 03/10/15

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व त
अहकाम
हुक्म की त
मे जारी

27/10/15

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी गोबरी लाल मीणा ने प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम गोबरिया नि0 चाणदा नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2076 -79 मुताबिक खाता स0 53 खसरा नबर 211,212,224,263,34,62,95 में काशतगार का नाम गोबरीलाल पुत्र गोपीलाल दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भू अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई। अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम गोबरिया के स्थान पर नाम गोबरीलाल दर्ज नाम दर्ज किया जावे। आज दिनांक 27/10/15 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
इटावा